अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

अंकित कुमार आदि   **बनाम**   **दीप कुमार आदि**

किस्म मुकदमा :–212 आरटीएक्ट   मुकदमा नम्बर :– 85/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
0.12.2023	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रकरण /प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक जारी की जाती है कि रोही मौजा चक 3 के.आर. पी. के खाता संख्या 53/37 की कुल 7.1850, चक 8 एमएसआर के खाता संख्या 42/41 की कुल 4.554है0, चक 8 एम.एस.आर के खाता संख्या 41/42 की कुल 0.253है0, चक करनपुरा बारानी के खाता संख्या 85/67 की कुल 3.984है0 कृषि भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखे। बैक ऋण (रोडा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य DILRMP कार्य पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नही होगी वकील प्रार्थी तामिल हेतु सात दिवस में रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश करे एव आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इस सम्बध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्ट्रर्ड नोटिस एवं साधारण नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.02.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
19/2/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त दिनांक 1/3/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
01/3/24	पत्रावली आज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र जरिये वकील श्रवण सहारण-I पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त पत्रावली में आगामी कोई कार्यवाही नही चाहते, अतः पत्रावली निरस्त की [illegible] पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया जाकर [illegible] दिनांक 20.12.2023 को [illegible] अन्तर्गत धारा 21[illegible] जारी की [illegible] खारिज। निरस्त [illegible] पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 1/3	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.05.13 16:52:02 IST
Reason: SelfAttested